आवश्यक

संख्या: 77/2017/3899/12-2-2017-60(10)/2017

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2017

विषय:प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की भागीदारी बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है। प्रदेश के मात्र बुन्देलखण्ड के 07 तथा मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में सिंचाई की उपलब्धता पर्याप्त न होने के कारण इन क्षेत्रों की फसलें प्रकृति पर अपेक्षाकृत ज्यादा निर्भर हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्र की जलवायु, सिंचन क्षमता आदि कृषि के अनुकूल है। सामान्य तौर पर अधिक वर्षा/बाढ की स्थिति में भी प्रदेश के मात्र 20 से 25 जनपदों के आंशिक क्षेत्रों की फसलों को आंशिक रूप से नुकसान की सम्भावना रहती है। प्रदेश के पश्चिमी जोन के 30 जनपद ऐसे हैं जहॉ के कृषकों द्वारा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी आधुनिक तकनीकी, कृषि निवेशों का समुचित उपयोग एवं संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी फसलों की उत्पादकता को सामान्य तौर पर कम होने नहीं दिया जाता है जिसके कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के कृषक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भागीदारी करने में अधिक रूचि नहीं लेते हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कृषकों की भागीदारी बढाये जाने हेतु कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनियों द्वारा ब्लाक/तहसील/जनपद/मण्डल स्तर पर कृषक गोष्ठियों व मेलों के माध्यम से कृषकों को योजना की जानकारी दी जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या: 2168/12-2-2017 दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि बैंक कृषि विभाग तथा बीमा कम्पनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करते हुए भागीदारी सुनिश्चित करायें। बीमा कम्पनियों के कार्यालय प्रत्येक जनपद में खोले गये हैं तथा बीमा कम्पनियों द्वारा प्रत्येक ब्लाक में एजेन्ट की नियुक्ति की गयी है। बीमा कम्पनियों को प्रत्येक जनपद में प्रत्येक मौसम में कुल कृषकों की संख्या का 5 प्रतिशत गैर ऋणी कृषक के रूप में कवर करने का लक्ष्य दिया गया है। बीमा कम्पनियों के द्वारा लक्ष्य की पूर्ति न करने पर आर्थिक दण्ड भी लगाया गया है।

3. अत: कृपया प्रश्नगत योजना की प्रगति की प्रत्येक माह समीक्षा करते हुए गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य (बीमा कम्पनियों को दिये गये लक्ष्य के अतिरिक्त) की पूर्ति को सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।